उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-206001

UPRVUNL

संख्या: 1221 /मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2010-38-मा0सं0 (04)/2004 दिनांक : 7.10. 2010

कार्यालय ज्ञाप

निगमादेश सं0 248/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2010-38-मा0सं0(04)/2004 दिनांक 20.02.2010 के अनुक्रम में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, के परियोजना चिकित्सालयों में दवाओं के थोक क्रय की प्रक्रिया को सरल एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिये निम्नवत् आदेश किये जाते हैं:-

(क) चिकित्सकों की समिति द्वारा संस्तुत तकनीकी सूची में कोई फेरबदल करने का अधिकार किसी को नहीं होगा।

(ख) सीमित निविदा प्रपत्र प्रत्येक परियोजना के केन्द्रीय क्रय खण्ड (C.P.D) से जारी किया जायेगा। प्रत्येक दवा के सम्मुख अंकित दवा निर्माता को इसकी प्रति उपलब्ध कराई जायेगी, और विभागीय वेबसाइट पर भी यह उपलब्ध कराया जायेगा, जिसकी सूचना वर्तमान लागू नियमों के अन्तर्गत क्षेत्र के अग्रणी समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार (WIDE CIRCULATION) के लिए जारी की जायेगी।

(ग) परियोजना चिकित्सालयों के उप मुख्य चिकित्साधिकारियों को यह सुनिश्चित कराना होगा कि तकनीकी सूची में दर्शित चयनित दवा निर्माताओं में से ज्यादा से ज्यादा दवा निर्माता निविदा में भाग ले सकें।

(घ) परियोजना चिकित्सालय प्रमुख का उत्तरदायित्व होगा कि हास्पिटल रेट लिस्ट केन्द्रीय क्रय खण्ड को उपलब्ध करायें।

(ड.) निविदा द्वारा निर्माताओं से दरें उपलब्ध होने पर विभागीय नियमों के अन्तर्गत कम से कम दर (L-I) का लाभ लेते हुए निविदा निस्तारित की जायेगी। निविदा समिति में परियोजना चिकित्सालय प्रमुख भी तकनीकी सदस्य के रूप में प्रतिभाग करेंगे।

(च) केन्द्रीय क्रय खण्ड (C.P.D) का दायित्व होगा कि वह उपलब्ध दवाओं की दरों को कम से कम एक वर्ष तक रेट कान्ट्रैक्ट करके स्थाई रखें और अस्पताल की जरूरत के अनुसार 3 या 6 माह के क्रयादेश, उप मुख्य चिकित्साधिकारी से दवाओं की मात्रा लेते हुए जारी करें।

क्0प0उ0

(5)

(छ) उपरोक्त चयनित फर्मों से सीमित निविदा आधारित क्रय प्रक्रिया एक वर्ष के लिए लागू की जाय।

(ज) यदि उक्त क्रय योजना एक वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालित होती है तो इसे स्थायी रूप से लागू करने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 1221 (1) मा0सं0 (04)/उ0नि0लि0/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर।
2. निदेशक, (तकनीकी/वित्त/कार्मिक), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. महा प्रबन्धक(मानव संसाधन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह/वित्त एवं लेखा/पी0पी0एम0एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा (सोंनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/पनकी (कानपुर)/कासिमपुर (अलीगढ़)/ लखनऊ।
5. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दि0 14.09.2010 को सम्पादित बैठक के एजेण्डा आइटम-30 के संदर्भ में।
6. उप महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप महा प्रबन्धक (प्रशिक्षण), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उक्त आदेश संलग्नकों सहित उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. उप मुख्य चिकित्साधिकारी, तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/पनकी,(कानपुर)/कासिमपुर (अलीगढ़) को इस आशय के साथ कि संलग्न निविदा का प्रारूप और उसमें निहित दवा निर्माताओं के नाम अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगे।
9. उप मुख्य लेखाधिकारी, तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/पनकी,(कानपुर)/कासिमपुर (अलीगढ़)।
10. कट फाइल।

संलग्नक:- यथोपरि।

आज्ञा से,

(एम0डी0 मिश्र)

अनुसचिव (मा0सं0-04)